

24.02.

2025 वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय
समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में
वकील भय प्रार्थी को आवाजे दिलवाई गई।
लेकिन वकील व प्रार्थी में से कोई उपस्थित
नहीं हुआ है। लिहाजा प्रार्थी का वाद अदम
पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर शाखिल
दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बसोतरा